



सूचना का
अधिकार

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
पिन कोड-492002

क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र,
प्रति,

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013,

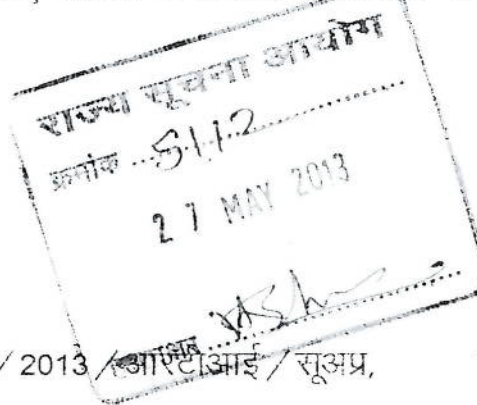
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर, (छ.ग.)

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने बाबत ।

—000—

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा तैयार वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011 की कड़िका-5.15-छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सुझाव दिया है कि यदि किसी जानकारी के संबंध में जन सूचना अधिकारी के पास अथवा अपील/शिकायत आयोग या प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन लंबित हो, तो उससे संबंधित रिकार्ड (अभिलेख) अंतिम निराकरण होने तक विनिष्ट(destroy) नहीं किया जाये, भले ही विनिष्टिकरण की अवधि समाप्त हो रही हो ।

2/- अतः अनुरोध है कि मान. आयोग द्वारा दिए गए सुझाव का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी कृपया आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।



(कमर अली)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 11-1/2013/आरटीआई/सूअप्र,
प्रतिलिपि:-

रायपुर दिनांक 27 अप्रैल, 2013.

सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार, रोड़ शंकर नगर, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 336/स्था./छगरासूआ/13, दिनांक 28.2.2013 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
एवं जन सूचना अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग

सचिव
रायपुर
प्रति

27 MAY 2013
Long